प्ररूप -एक

(नियम 11 देखिए)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक/ 1298 /भू-अर्जन/2024 दंतेवाड़ा दिनांक 06/08/2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का भू-अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशायित है,अर्थात

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	चितालंका	1.839 हे0	दंतेवाड़ा बायपास सड़क चौड़ीकरण चितालंका

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29.08.2024 को समय 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत चितालंका में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	दंतेवाड़ा बायपास सड़कचौड़ीकरण चितालंका
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या ।	98
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पतियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्यपरिसम्पतियों की अनुमानित संख्या ।	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हॉ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	हॉ
(आठ)	परियोजना की कुल लागता।	1592.77 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ।	सार्वजनिक मार्ग
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय।	17537071/- रूपये जिला (भू-अर्जन शाखा) में जमा हेतु
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक ।	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी /सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(मयंक चतुर्वेदी)
कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
एवं पदेन उप सचिव,छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0क्रमांक/ 1299 /भू-अर्जन/2024 दंतेवाड़ा दिनांक 06/08/2024

प्रतिलिपि :-

1.सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन,अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2.आयुक्त बस्तर संभाग,जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।

3.नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय,छत्तीसगढ़ राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग -01 में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

4.अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)एवं भू-अर्जन अधिकारी दंतेवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5.कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दंतेवाड़ा को सूचनार्थ।इस अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों एवं छ0ग0 के राजपत्र में कराते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

6.अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भ/स) दंतेवाड़ा को सूचनार्थ।

7.डी.आई.ओ.(एन.आई.सी.) दंतेवाड़ा को सूचनार्थ। आप इस अधिसूचना को छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन प्रशासन विभाग एवं जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की वेबसाइड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

8.तहसीलदार दंतेवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।सामजिक समाघात अध्ययन दल के सदस्यों को इस अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस अधिसूचना का प्रकाशन अनुविभाग कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, नगर पंचायत,कार्यालय, संबधित ग्राम पंचायत कार्यालय में कराया जाना सुनिश्चित करेंगें। तथा प्रकाशन पश्चात उसकी प्रति भू-अर्जन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रीति से जो विहित हो अथवा मुनादी कराया जा जाकर रिपोर्ट भू-अर्जन अधिकारी को दी जावे। यह भी आदेशित किया जाता है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की कंडिका (4) एवं कंडिका (5) के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुये यथाविहित भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की कार्यवाही समयसीमा में पूर्ण की जावें।

9.सरपंच ग्राम पंचायत चितालंका जनपद पंचायत दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10.सचिव ग्राम पंचायत चितालंका जनपद पंचायत दंतेवाड़ा को सूचनार्थ।इस अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराना सुनिश्चित करें। आपको यह भी आदेशित किया जाता हैकि भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 11 की कंडिका 4 के अनुसार "कोई व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में निविर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा का पालन एवं सर्व संबंधित को मुनादी के माध्यम से सूचित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(मयंक चतुर्वेदी)
कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
एवं पदेन उप सचिव,छत्तीसगढ़ षासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग